

LCMS
2020/00084
28/02/2021

अज अदालत तहसीलदार / नायब तहसीलदार सिणधरी तहसील सिणधरी

राजस्थान सरकार जरिये पटवारी

बनाम



श्री. रत्नाराम

हलका भूका वगलसिंह

पुत्र श्री. जवानराम जाति हरीक

निवासी भूका वगलसिंह

किस्म मुकदमा धारा 91 राज. भू राजस्व अधिनियम 1956 मु.नं. 81 वर्ष 2020

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाहीमय इनिशियलस जज	हुकम और तारीख तामिल की
23-12-2020	पटवारी हलका भूका वगलसिंह ने रिपोर्ट पेश कर सूचित किया कि उक्त अप्रार्थी ने संवत् 2077 में मौजा भूका वगलसिंह के खसरा नंबर 2713 रकबा 1200 वर्ग फी. किस्म भूमि डी.मु. 5 पर नाजायज अतिक्रमण कर कारत व कब्जा किया है, अतः राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत मामला दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल को जरिये नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 11-01-2021 को बमुकाम सिणधरी में पेश हों।	
11-01-2021	तहसीलदार सिणधरी जिला-बाड़मेर	 रत्नाराम
18/01/2021	पत्रावली पेश हुई। गैर सायल उपस्थित। पीछली अधिकारी रजिस्ट्रार कार्य हेतु लोचपुर पद्वारे को पत्रावली दि. 18-01-2021 को पेश है। 11-01-2021	 रत्नाराम
	पत्रावली पेश हुई। गैर सायल उपस्थित। गैर सायल ने जवाब हेतु समय चाहा जो दिया जाकर पत्रावली दिनांक 23/01/2021 को पेश है।	

तहसीलदार सिणधरी
जिला-बाड़मेर

27-01-2021

पत्रावली पेश हुई। और सामल की तरफ से
उने वकील ने उपस्थित होकर जवाब हेतु समय
चाहा जो दिया जाकर पत्रावली दि. 10-2-2021
को पेश है।

०५
तहसीलदार सिणधरी
जिला-वाड़मेर

10-2-2021

पत्रावली पेश हुई। पीछली माचिकारी माण
ड्युटी पर स्थाना पचार हे पत्रावली दिनांक
17-2-2021 को पेश है। ६५
10-2-2021

17-2-2021

पत्रावली पेश हुई। और सामल अनुपस्थित। और
सामल को जवाब हेतु मन्त्रिम भवलय दिनांक
पत्रावली दिनांक 22-2-2021 को पेश है।

०५
तहसीलदार सिणधरी
जिला-वाड़मेर

22-2-2021

पत्रावली पेश हुई। और सामल अनुपस्थित।
और सामल को जवाब हेतु बार-बार भवलय
दिनांक के उपरान्त कोई विधि सम्मत
साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये और सामल को
मात्रिकी मन्त्रिम हेतु पत्रावली फलतः सुगार
है। निर्णय अलग नि लिखा जाकर
शामिल पत्रावली है। पत्रावली फलतः
सुगार होकर दाखिल दफतर है।

०५
तहसीलदार सिणधरी
जिला-वाड़मेर